वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निरीक्षक हेतु विभागीय परीक्षा नियम – 2026

(वर्ष 2026 की परीक्षा से प्रभावी)

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन नियमों को **आयकर निरीक्षक हेतु विभागीय परीक्षा नियम, 2026** कहा जाएगा । ये नियम **कैलेण्डर वर्ष 2026** से आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा एवं उसके पश्चात् की परीक्षाओं पर लागू होंगे।

नियम I: परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

1. **"प्राधिकारी"** आयकर निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राधिकारी का अर्थ है – केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)।
2. **"सुधार अवसर (बेटरमेंट चांस)"** का अर्थ है – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों के अधीन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विहित उत्तीर्णांक प्राप्त कर अलग-अलग प्रश्न-पत्रों में स्वयं ही उत्तीर्ण होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु इन नियमों के अधीन दिए गए अतिरिक्त अवसर।
3. **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ है – अपर आयकर महानिदेशक -2, मानव संसाधन विकास।
4. **"नया परीक्षा पैटर्न"** का अर्थ है –"आयकर निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा नियम-2026" के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अनुसार आयोजित परीक्षा।
5. **"पुराना परीक्षा पैटर्न"** का अर्थ है – "आयकर निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा नियम, 2009" के अंतर्गत आयोजित परीक्षा(एँ)। आयकर निरीक्षकों हेतु (पूर्ववर्ती पुराने पैटर्न के विभागीय परीक्षा नियम, 1998 अब वर्ष 2026 से प्रयोग में नहीं लाए जायंगे)।
6. **"आंशिक रूप से उत्तीर्ण प्राप्त अभ्यर्थी"** का अर्थ है – ऐसा अभ्यर्थी जिसे पुराने पैटर्न के परीक्षा नियम, 2009 के तीन या उससे कम प्रश्न-पत्रों में (राजभाषा हिन्दी को छोड़कर) अभी उत्तीर्ण होना शेष है।

7. **"परीक्षा की आवधिकता"** का अर्थ है – परीक्षा सामान्यतः वर्ष में एक बार, अधिमानतः कैलेण्डर वर्ष की प्रथमार्ध अवधि में आयोजित की जाएगी। तथापि, यह आयकर निदेशालय, (मानव संसाधन विकास) के विवेकाधिकार के अधीन परिवर्तनीय रहेगी । आयकर निदेशालय, (मानव संसाधन विकास) परीक्षा की निश्चित तिथियाँ अधिसूचित करेगा एवं समय-सारणी, परीक्षा से पर्याप्त समय पूर्व निर्धारित करेगा।
8. **"पुनरीक्षण प्राधिकारी"** का अर्थ है – प्रधान आयकर महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली।

<u>नियम II: परीक्षा प्रभारी</u>

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा परीक्षा प्रभारी के रूप में नामित नामनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त उस क्षेत्र/प्रभार में आयकर निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नामनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को निम्नलिखित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत करेंगे:–

1. परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से विहित प्रोफार्मा में आवेदन प्राप्त करना;
2. अपने-अपने क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को (अनुक्रमांक/पंजीकरण संख्या-वार) स्कैन करना, सत्यापित एवं अनुप्रमाणित/प्रमाणित करना तथा इन नियमों के नियम XIII व नियम XIV में विहित रीति एवं समय के अनुसार अधिसूचित अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास को अग्रेषित करना;
3. विषयनिष्ठ प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को आयकर निदेशालय, (मानव संसाधन विकास) को भेजने के लिए आवश्यक प्रबंध करना;
4. आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करना;
5. परीक्षा के समुचित संचालन एवं परिणाम घोषित हेतु सभी प्रबंध करना, परीक्षा हॉल की प्रक्रिया विहित करना, आदि; तथा
6. उप-नियम II(1) से II(5) में निहित कार्यों के अतिरिक्त ऐसे अन्य आवश्यक कार्य निष्पादित करना जो आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास द्वारा आवश्यक समझे जाएँ।

नियम III: पात्रता

आयकर निरीक्षक हेतु विभागीय परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नानुसार होगी:–

1. सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सभी आयकर निरीक्षक (स्थायीकरण हेतु);
2. कार्यालय अधीक्षक (जिन्होंने अनुसूचिवीय स्टाफ परीक्षा पहले से उत्तीर्ण कर ली है) (पदोन्नति हेतु);
3. कर सहायक (जिन्होंने अनुसचिवीय स्टाफ परीक्षा पहले से उत्तीर्ण कर ली है) (पदोन्नति हेतु);
4. आशुलिपिक ग्रेड I एवं II (जिन्होंने अनुसचिवीय स्टाफ परीक्षा पहले से उत्तीर्ण कर ली है)(पदोन्नति हेतु)।

परन्तु यह भी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में पुराने पैटर्न या नये पैटर्न की परीक्षा को छूट प्राप्त मानकों के साथ पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लिया है, वे अपने परिणाम के सुधार हेतु भी परीक्षा में बैठने पात्र होंगे, बशर्ते कि उनके द्वारा उपयोग किए गए अवसरों की संख्या नीचे नियम IV में निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा से कम हो ।

परन्तु यह भी कि पुराने पैटर्न की परीक्षा के आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी नीचे नियम IV में निर्धारित अवसरों की अधिकतम संख्या की अधिसीमा तथा नियम VI(2) में दी गई प्रश्न-पत्र मिलान अनुसूची के अनुसार, केवल अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र(पत्रों) हेतु ही नए पैटर्न की वर्ष 2026 एवं उसके पश्चात् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने हेतु पात्र होंगे। यह पात्रता पुराने पैटर्न के अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र(पत्रों) में उत्तीर्ण होने की रियायत पुराने पैटर्न के अभ्यर्थियों को दिए जाने के सीमित प्रयोजन हेतु है, और जैसे ही वे नियम IV में निर्धारित अवसर अधिसीमा तक पहुँच जाएँगे, यह पात्रता समाप्त हो जाएगी।

नियम IV: अनुमेय अवसर एवं आयु सीमा

नये पैटर्न के अभ्यर्थियों हेतु

1. किसी अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 10 अवसर अनुमत होंगे।
2. अवसरों की अधिकतम संख्या 10 की गणना में, वर्ष 2010 की परीक्षा के पश्चात् (परीक्षा नियम-2009 के अनुसार) अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग किए गए अवसरों को भी गिना जाएगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग किए गए अवसरों की अधिकतम संख्या की गणना में, ऐसे अवसर भी सम्मिलित होंगे जिनके लिए उन्हें परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति दी गई

थी, चाहे अभ्यर्थी ने परीक्षा दी हो अथवा नहीं। एक बार अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति दिए जाने के पश्चात्, अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

4. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तीन से कम अवसर शेष बचे हैं, उन्हें नवीन रूप से प्रवर्तित प्रश्न-पत्र-IV "आई टी एप्लिकेशन एवं संचालन" को विशेष रूप से उत्तीर्ण के लिए कम से कम तीन अवसर प्रदान किए जाएँगे।

   उदाहरण:

   ऐसा अभ्यर्थी जिसने पहले से ही आठ प्रयास समाप्त कर लिए हैं तथा अब तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उसे केवल प्रश्न-पत्र-IV "आई टी एप्लिकेशन एवं संचालन" उत्तीर्ण करने के लिए बचे हुए दो अवसरों के अतिरिक्त, एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।
5. विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए कोई आयु-सीमा प्रतिबंध नहीं होगा।
6. जिन अभ्यर्थियों ने पहले से कोई प्रश्न-पत्र/परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे उस प्रश्न-पत्र/परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने के लिए पात्र नहीं होंगे; सिवाय सुधार अवसर के अभ्यर्थियों के, जिन्हें संपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अंकों के सुधार हेतु परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति है।

<u>नियम V: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों हेतु सुधार अवसर</u>

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पुराने पैटर्न अथवा नये पैटर्न के अधीन छूट प्राप्त मानकों के साथ विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें संबंधित प्रश्न-पत्र(पत्रों) में परिणाम के सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अवसर नियम IV में निर्धारित दस अवसरों की समग्र अधिसीमा के अधीन प्रदान किए जाएँगे। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित पैटर्न के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करने में अभ्यर्थी द्वारा पहले से उपयोग किए गए अवसरों की संख्या भी गिनी जाएगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं किया, उन्हें अलग-अलग प्रश्न-पत्र(पत्रों) के परिणाम के सुधार हेतु अवसर नहीं मिलेगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पुराने पैटर्न में छूट प्राप्त मानकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें केवल नियम VI(2) में नीचे दी गई समतुल्य अनुसूची के अनुसार सुसंगत मिलान वाले प्रश्न-पत्र(पत्रों) में ही बैठने की अनुमति दी जाएगी।

नियम VI: परीक्षा संरचना

1. **परीक्षा के प्रश्न-पत्र**

नये पैटर्न के अभ्यर्थियों, जिनमें सुधार अवसर का लाभ उठाने वाले नये पैटर्न के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, के लिए संग्लग्नक-I में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित प्रश्न-पत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

प्रश्न-पत्र संख्या	**प्रश्न-पत्र**	**प्रकार**	**अधिकतम अंक**	**प्रश्न-पत्र की अवधि**
1.	प्रश्न-पत्र-I: आयकर विधि, संगणना एवं करदाता सेवाएँ (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम एवं नियम)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
2.	प्रश्न-पत्र-II: लेखाशास्त्र एवं बही-खाता (पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
3.	प्रश्न-पत्र-III: सम्बद्ध विधियाँ एवं कार्यालयी प्रक्रिया (पुस्तकों सहित – मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर, जीएफआर नियम आदि)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
4.	प्रश्न-पत्र-IV: आई टी एप्लिकेशन एवं संचालन (पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
5.	प्रश्न-पत्र-V: राजभाषा हिन्दी (पुस्तकों के बिना)	विषयनिष्ठ	100	2 घंटे

ए) प्रश्न-पत्र-I, प्रश्न-पत्र-II एवं प्रश्न-पत्र-IV में 100-100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे, जिनका उत्तर 2 घंटे में देना होगा। प्रश्न-पत्रों का विस्तृत पाठ्यक्रम संग्लग्नक-I के अनुसार है।

बी) प्रश्न-पत्र-III 100 अंकों का होगा एवं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल अंकों में से, 60% भारिता सम्बद्ध विधियों को तथा 40% भारिता कार्यालय प्रक्रिया को दी जाएगी, जिसका पाठ्यक्रम संग्लग्नक-I के अनुसार है। इस प्रश्न-पत्र के लिए मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर एवं जीएफआर नियम उपलब्ध करवाए जाएँगे।

सी) प्रश्न-पत्र-V (राजभाषा हिन्दी) 100 अंकों का (विषयनिष्ठ) होगा, जिसका उत्तर दो घंटे की अवधि के भीतर देना होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम संग्लग्नक-I के अनुसार है।

डी) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन अथवा उसके समकक्ष अथवा किसी उच्चतर परीक्षा में अथवा अनुसचिवीय स्टाफ की विभागीय परीक्षा में हिन्दी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें इस परीक्षा में राजभाषा हिन्दी प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होने से छूट प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान अथवा हिन्दी शिक्षण योजना की "प्राज्ञ" परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें भी परीक्षा प्रभारी द्वारा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के अधीन)राजभाषा हिन्दी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दी जा सकेगी।

ई) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी।

एफ)प्रश्न-पत्र-I एवं प्रश्न-पत्र-III के लिए, केवल मूल अधिनियम/नियम अथवा कर तालिकाओं, मूल्यह्रास दरों, पूँजीगत लाभ सूचकांक युक्त मूल रेडी रेकनर ही परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति होगी।

जी) परीक्षा हॉल में कोई भी वैज्ञानिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है; तथापि अंकगणितीय कैलकुलेटर की अनुमति है।

एच) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने संशोधित विभागीय परीक्षा नियम आयकर निरीक्षक-2009 के अनुसार किसी भी प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें नये पैटर्न के अधीन नियम VI(2) में विनिर्दिष्ट समतुल्य अनुसूची के अनुसार संगत प्रश्न-पत्र(पत्रों) में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है।

आई) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) हेतु प्रावधान:

i. दृष्टिहीनता, लोकोमोटर-दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित – बीए) एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को, यदि वे चाहें, तो श्रुतलेखक (स्क्राइब) की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अधीन परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में, ऐसे

अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की, सुविधा अनुमत की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक बाधा है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए श्रुतलेखक आवश्यक है। यह प्रमाण-पत्र किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विहित प्रोफार्मा में जारी किया जाना अपेक्षित है।

ii. अभ्यर्थी के पास अपना श्रुतलेखक चुनने अथवा परीक्षा प्रभारी से इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार होगा। परवर्तित मामले में, अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो दिन पूर्व श्रुतलेखक से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थी को यह जाँचने एवं सत्यापित करने का अवसर मिले कि श्रुतलेखक उपयुक्त है अथवा नहीं।

iii. यदि परीक्षा प्रभारी श्रुतलेखक/वाचक उपलब्ध करवाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रुतलेखक की योग्यता परीक्षा की न्यूनतम अर्हता मानदंड से अधिक न हो। तथापि, श्रुतलेखक/वाचक की योग्यता मैट्रिकुलेट अथवा उससे ऊपर ही होनी चाहिए।

iv. यदि अभ्यर्थी को अपना श्रुतलेखक लाने की अनुमति दी जाती है, तो श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। अपना श्रुतलेखक/वाचक चुनने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को संग्लग्नक-II (परिशिष्ट-II) के अनुसार अपने श्रुतलेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

v. आपातकाल स्थिति में श्रुतलेखक/वाचक बदलने की भी संभावना बनी रहनी चाहिए। अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रश्न-पत्रों को लिखने के लिए विभिन्न श्रुतलेखक/वाचक लेने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, प्रति प्रश्न-पत्र केवल एक ही श्रुतलेखक हो सकता है।

vi. अभ्यर्थियों को संग्लग्नक-III के परिशिष्ट-I के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के पैरा 2 में उल्लिखित प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र आदि जैसे सहायक एवं सहायता उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

vii. श्रुतलेखक प्राप्त करने के पात्र अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे के लिए कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय अनुमत किया जाएगा ।

2. **पुराने पैटर्न के आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों/पुराने पैटर्न के सुधार अवसर के अभ्यर्थियों के लिए** : प्रश्न-पत्र मिलान अनुसूची निम्नानुसार होगी:

क्र. सं.	पुराने पैटर्न का अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र	नये पैटर्न में अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले सुसंगत प्रश्न-पत्र	प्रकार	अधिकतम अंक
1.	प्रश्न-पत्र-1: आयकर विधि एवं संगणना (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-I: आयकर विधि, संगणना एवं करदाता सेवाएँ (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम एवं नियम)	वस्तुनिष्ठ	100
2.	प्रश्न-पत्र-2: बही-खाता लेखन (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-II: लेखाशास्त्र एवं बही-खाता लेखन(पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100
3.	प्रश्न-पत्र-3: सम्बद्ध विधियाँ (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-III: सम्बद्ध विधियाँ एवं कार्यालय प्रक्रिया (पुस्तकों सहित – मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर, जीएफआर नियम आदि)	वस्तुनिष्ठ	100
4.	प्रश्न-पत्र-4: कार्यालय प्रक्रिया (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-IV: आई टी एप्लिकेशन एवं संचालन (पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100
5.	प्रश्न-पत्र-5: हिन्दी	प्रश्न-पत्र-V: राजभाषा हिन्दी (पुस्तकों के बिना)	विषयनिष्ठ	100

ए) आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नवीन रूप से प्रवर्तित प्रश्न-पत्र IV में भी उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा।

बी) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा नियम, 1998 के अधीन विहित परीक्षा पैटर्न के अनुसार आंशिक रूप से उत्तीर्ण है तथा परीक्षा नियम, 2009 के पैटर्न के अधीन संगत मिलान वाले प्रश्न-पत्र में बैठा था, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नये परीक्षा नियम, 2026 के नियम VI(2) में

विनिर्दिष्ट मिलान वाले प्रश्न-पत्र का विकल्प चुनना होगा। उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नवीन रूप से अंतःस्थापित प्रश्न-पत्र IV भी उत्तीर्ण करना होगा।

<u>नियम VII: उत्तीर्णांक प्रतिशत</u>

1. किसी अभ्यर्थी को आयकर निरीक्षक हेतु विभागीय परीक्षा में पूर्ण रूप से तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह उपर्युक्त नियम VI में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50% अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के मामले में 45%) प्राप्त कर ले। किसी भी श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मानकों में आगे कोई शिथिलीकरण विचारणीय अथवा अनुमन्य नहीं होगा।
2. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने किसी एक परीक्षा में किसी विशिष्ट प्रश्न-पत्र अथवा प्रश्न-पत्रों में 50% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के मामले में 45%) या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे आगामी परीक्षा(ओं) में उस प्रश्न-पत्र अथवा उन प्रश्न-पत्रों में प्रविष्ट होने से छूट दी जाएगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने परीक्षा नियम, 2009 के पुराने पैटर्न के अधीन एक या एक से अधिक प्रश्न-पत्रों को आंशिक रूप से उत्तीर्ण किया है, उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा, बशर्ते कि वे शेष प्रश्न-पत्र(पत्रों) में नवीन विभागीय परीक्षा नियम, 2026 के अनुसार अर्थात् 50% अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए 45%) प्राप्त करके उत्तीर्ण कर लें।
4. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्ववर्ती नियम, 2009 के अनुसार सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट पहले से प्राप्त हो चुकी है, उन्हें सुधार परीक्षा में प्रविष्ट होने से छूट दी जाएगी; बशर्ते कि वे शेष प्रश्न-पत्र(पत्रों) में विभागीय परीक्षा नियम, 2026 के अधीन विहित उत्तीर्णकों (अर्थात् 50%) के अनुसार उत्तीर्ण हो जाएँ।
5. राजभाषा हिन्दी प्रश्न-पत्र को किसी भी समय उत्तीर्ण किया जा सकता है। इस प्रश्न-पत्र में उत्तीर्णांक 50% (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के मामले में 45%) होंगे। इस प्रश्न-पत्र को उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी।

6. किसी प्रश्न-पत्र में ¼, ½, ¾ जैसे प्रभाजित अंकों को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात् 39¼ को 39 तक पूर्णांकित किया जाएगा; 39½ एवं 39¾ को 40 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

नियम VIII: कृपांक

कृपांक नीति का उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना है ,जो अत्यल्प अंतर से अनुत्तीर्ण रह जाते है। किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अधिकतम पाँच कृपांक अनुमत किए जा सकते है :-

1. अलग-अलग प्रश्न-पत्रों में पुनः बैठने से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, प्रति प्रश्न-पत्र अधिकतम दो अंक कृपांक के रूप में अनुमत किए जाएँगे।
2. जहाँ कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर रहा है, वहाँ कुल पाँच कृपांक एक ही प्रश्न-पत्र में अनुमत किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उस परीक्षा के किसी प्रश्न-पत्र में पुनः प्रविष्ट होने से छूट प्राप्त करने के लिए उसी या पूर्व परीक्षा के किसी भी प्रश्न-पत्र में कोई कृपांक नहीं लिए गए हों।
3. जहाँ किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में उसी या पूर्ववर्ती परीक्षा में अलग-अलग प्रश्न-पत्र(पत्रों) में उत्तीर्ण होने के लिए पहले से ही कृपांकों का लाभ उठा लिया है, वहाँ पहले से लिए गए कृपांक अधिकतम अनुमेय पाँच कृपांकों में से घटाए जाएँगे तथा शेष, यदि कोई हो, अभ्यर्थी को अनुमत किए जाएँगे।

नियम IX: अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में प्रावधान

ऐसा अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में लिप्त पाया जाता है अथवा पाया गया है, उसे विभागीय परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला माना जाएगा:

1. विभागीय परीक्षा प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में लागू नियमों की परिधि से बाहर जाकर; किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता, सिफ़ारिश, प्रभाव, दबाव,अनुग्रह या हस्तक्षेप प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने का प्रयास करना।
2. व्यक्ति-प्रतिरूपण करना;
3. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति-प्रतिरूपण करवाना;

4. जाली दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो;
5. अभ्यर्थिता/अर्हता/श्रुतलेखक की अर्हता (यदि उपयोग किया गया हो)/किसी अन्य के संबंध में ऐसा कथन देना जो असत्य या मिथ्या हो तथा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना;
6. परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता अथवा परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अन्य अनियमितता अथवा किसी अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेना;
7. किसी ऐसे कागज, पुस्तक, टिप्पणी अथवा अन्य सामग्री को अपने पास रखे हुए पाए जाना, जिसका परीक्षा हॉल में प्रयोग अनुमत नहीं है (परीक्षा प्रभाग द्वारा निर्धारित);
8. अन्य अभ्यर्थियों के साथ संवाद करना अथवा कैलकुलेटर, पर्चियाँ, ब्लॉटिंग पेपर आदि (जिन पर कुछ लिखा हो) का आदान-प्रदान करना;
9. परीक्षा प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों से छेड़छाड़ करना;
10. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच अथवा ब्लूटूथ उपकरण, वैज्ञानिक कैलकुलेटर आदि सहित कोई भी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना;
11. परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार करना;
12. पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी कृत्य को करने का प्रयास करना अथवा यथास्थिति, उसके किए जाने में दुष्प्रेरण करना;
13. चोरी-छुपे अथवा बलपूर्वक उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाना अथवा ले जाने का प्रयास करना; तथा
14. कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक/जनरेटिव एआई एप्लिकेशन/अप्रकटित एलएलएम एक्सेस/श्रुतलेखकों के माध्यम से वॉयस-रिले आदि का उपयोग।

ऐसा अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त में से किसी एक या अधिक अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है अथवा पाया गया है, वह उपयुक्त नियमों के अधीन आपराधिक अभियोजन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अपने आप को भागी बनाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक दंडों के लिए भागी होगा:

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस परीक्षा से, जिसमें वह एक अभ्यर्थी है, अयोग्य घोषित किया जाना तथा उस परीक्षा में जिन प्रश्न-पत्रों में उसने भाग लिया हो, उन सभी में शून्य अंक देकर अनुत्तीर्ण घोषित किया जाना।

2. सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित किया जाना।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के प्रारंभ के साथ-साथ वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाना। इस खंड के अधीन कार्रवाही केवल नियम X के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, तथा यदि अभ्यर्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है तो, नियम XI के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही की जाएगी।

नियम X: दंड के अधिनिर्णयन की प्रक्रिया

1. सक्षम प्राधिकारी अभ्यर्थी को एक ज्ञापन जारी करेगा जिसमें उससे आरोप-ज्ञापन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर (असाधारण मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे 30 दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकता है) अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
2. सक्षम प्राधिकारी, परीक्षा प्रभारी से अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में सुसंगत/उपकरण के प्रमाणित डिजिटल लॉग सहित सभी सुसंगत साक्ष्य/सामग्री द्वारा समर्थित एक व्यापक रिपोर्ट मंगवाएगा।
3. सक्षम प्राधिकारी, परीक्षा प्रभारी से प्राप्त रिपोर्ट की, अभिलेख पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक सुसंगत साक्ष्यों एवं सामग्री का परीक्षण करेगा, तथा यथोचित समझे जाने पर कोई अन्य जाँच भी कर सकता है। ऐसे परीक्षण एवं जांच के उपरांत सक्षम प्राधिकारी आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आरोप, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से, सिद्ध पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी अधिरोपित किए जाने वाले दंड का निर्धारण करेगा तथा लिखित रूप में एक उपयुक्त आदेश पारित करेगा। यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

नियम XI: पुनरीक्षण प्राधिकारी

1. नियम X के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंडादेश से व्यथित अभ्यर्थी, उक्त आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दंड आदेश के पुनरीक्षण हेतु प्रधान आयकर महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली के समक्ष अभ्यावेदन कर सकता है । प्रधान आयकर

महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली अभ्यर्थी द्वारा दंडादेश आदेश की प्राप्ति की तारीख से अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर करने में विलंब को क्षमा कर सकेंगे ।

2. प्रधान आयकर महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली, उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के मूल्यांकन एवं अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का मूल्यांकन करने के पश्चात्, लिखित रूप में उपयुक्त आदेश पारित करेंगे । दंड के अधिरोपण, संशोधन अथवा प्रतिसंहरण से संबंधित सभी मामलों में प्रधान आयकर महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास) द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

<u>**नियम XII: पुनर्मूल्यांकन एवं अभ्यावेदन**</u>

1. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनः योग के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, प्रश्न-पत्र, अनंतिम उत्तर कुंजी(कुंजियाँ) एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये उत्तरों की प्रति विभागीय वेबसाइट “incometaxindia.gov.in” पर अपलोड की जाएगी।
3. अभ्यर्थी, अनंतिम उत्तर कुंजी (कुंजियों) के संबंध में अपना ऑनलाइन अभ्यावेदन यदि हो तो विभागीय वेबसाइट “incometaxindia.gov.in” पर पस्तुत कर सकेंगे । यह विंडो सक्रिय किए जाने की तारीख से सात दिनों तक खुली रहेगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी अन्य माध्यम से कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच आयकर निदेशालय, (मानव संसाधन विकास) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी।
5. विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आधार पर अनंतिम उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिया जाएँगा, तथा अंतिम परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा और विभागीय वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

नियम XIII: परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन

1. परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन अभ्यर्थी द्वारा उस परीक्षा प्रभारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा, जिसके क्षेत्र अथवा प्रभार में वह परीक्षा हेतु आवेदन करते समय तैनात है। आवेदन विहित प्रारूप में, जब और जैसा भी माँगा जाए, संबंधित परीक्षा प्रभारी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के परिणामों की घोषणा के पश्चात् ही किया जाएगा।
2. इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकृत कर दिए जाएँगे, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अभ्यर्थी के स्थानांतरण के कारण न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित समझे जाने वाले प्रशासनिक कारणों से न हो।
4. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् अभ्यर्थी के स्थानांतरण की स्थिति में, अभ्यर्थी पूर्व आवेदन-पत्र की एक प्रति, स्थानांतरण आदेश के साथ, नये प्रभार के परीक्षा प्रभारी के माध्यम से आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास को अग्रेषित करेगा।
5. सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र की एक छायाप्रति अपने पास रखें।

नियम XIV: परीक्षा प्रभारी द्वारा भेजी जाने वाली सूचियां/विवरण

परीक्षा प्रभारी आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास को निम्नलिखित विवरणों की सूचियाँ भेजेंगे:

1.	परीक्षा प्रभारी द्वारा सत्यापित एवं अनुप्रमाणित आवेदन-पत्र	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 30 दिनों के भीतर।
2.	बैठक व्यवस्था एवं सत्यापित उपस्थिति पत्रक	परीक्षा के ठीक अगले दिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित।
3.	परीक्षा प्रभारी द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत अभ्यर्थियों की सूची “बी”, जिसमें अभ्यर्थी को आबंटित अनुक्रमांक एवं पूर्व वर्षों की	परीक्षा की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर।

	परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न-पत्रों में उनके द्वारा प्राप्त छूट अंक, विहित प्रोफार्मा में दिये गये हों। किसी विशिष्ट प्रश्न-पत्र(पत्रों) की परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष लाल स्याही (A) चिह्नित किया जाएगा ।	

नियम XV: अभ्यर्थियों का परिणाम

1. परीक्षा का परिणाम आयकर निदेशालय, (मानव संसाधन विकास) में संकलित किया जाएगा तथा संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को सूचना देते हुए परीक्षा प्रभारी को प्रेषित किया जाएगा। परीक्षा प्रभारी, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों सहित परिणाम, अभ्यर्थियों को सूचित करेगा। परीक्षा प्रभारी उन अभ्यर्थियों के नाम घोषित करेगा, जिन्होंने परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण किया है, तथा परिणामों की घोषणा के 15 दिनों के भीतर पूर्णतः सफल अभ्यर्थियों की सूची आयकर निदेशालय, (मानव संसाधन विकास) को भेजेगा।
2. परीक्षा आयोजन में विलंब अथवा परिणाम घोषित होने में विलंब होने के कारण, अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से यह दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि उन्हें सुसंगत रिक्ति वर्ष की जाएं,चाहे परीक्षा कभी भी आयोजित हुये हो अथवा उसका परिणाम कभी भी घोषित किया गया हो ।
3. परीक्षा आयोजित करने अथवा उसके परिणाम घोषित करने में विलंब के कारण किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई भी शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

*****

संलग्नक -I

आयकर निरीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र I: आयकर विधि, संगणना एवं करदाता सेवाएँ

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम एवं नियम)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 90 प्रतिशत भारिता आयकर अधिनियम, 1961/आयकर अधिनियम, 2025, सुसंगत नियमों एवं करदाता सेवाओं को तथा 10 प्रतिशत भारिता प्रत्यक्ष करों के अन्य अधिनियमों को दी जाएगी)

भाग क: आयकर अधिनियम (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम) [90 अंक]

1. सुसंगत नियमों सहित समय-समय पर यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 एवं आयकर अधिनियम, 2025 के निम्नलिखित अध्यायों की गहन समझ के साथ:

अध्याय का नाम	**आयकर अधिनियम, 2025**	**आयकर अधिनियम, 1961**
प्रारंभिक परिभाषाएँ	अध्याय I	अध्याय I
प्रभार का आधार	अध्याय II	अध्याय II
कुल आय की संगणना	अध्याय IV	अध्याय IV
आय का समुच्चय	अध्याय VI	अध्याय VI
समायोजन अथवा अग्रनयन तथा हानियो का समायोजन	अध्याय VII	अध्याय VI
कुल आय की संगणना से की जाने वाली कटौती	अध्याय VIII	अध्याय VI-ए
कर प्रशासन	अध्याय XIV	अध्याय XIII
निर्धारण की प्रक्रिया	अध्याय XVI	अध्याय XIV
कर संग्रहण एवं वसूली	अध्याय XIX	अध्याय XVII

अध्याय का नाम	आयकर अधिनियम, 2025	आयकर अधिनियम, 1961
शास्तियाँ	अध्याय XXI	अध्याय XXI
अपराध एवं अभियोजन	अध्याय XXII	अध्याय XXII

इस प्रश्न-पत्र में आयकर अधिनियम के व्यावहारिक प्रयोग पर भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें आय के शीर्षों, निर्धारण, आय एवं करों की गणना, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) एवं स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) आदि प्रावधानों पर अधिक बल दिया जाएगा। इस प्रश्न-पत्र में अभ्यर्थियों से आयकर निरीक्षण से संबन्धित कुछ कार्यो जैसे, पूछताछ एवं सर्वे, कर अपवंचन याचिकाओं, अभियोजनों, अन्वेषणों तथा कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में उल्लिखित केन्द्रीय सूचना शाखा (सीआईबी) के लिए सूचना संग्रहण से संबंधित कार्य के विषय में ज्ञान का भी परीक्षण किया जाएगा।

करदाता सेवाएँ एवं डिजिटल सेवा प्रदायगी:

ए) करदाता चार्टर एवं सेवा प्रदायगी मानक।

बी)करदाता सेवाओं में व्यावहारिक अनुप्रयोग; वैयक्तिकृत संचार।

i. डिजिटल प्लेटफॉर्म
ii. सक्रिय सेवा प्रदायगी:
iii. TRACES, 26AS, ई-पैन, प्रीफिल्ड आईटीआर, ASK, सेवोत्तम।

सी) करदाता सेवाओं में शिकायत निवारण पद्धतियाँ : CPGRAM, ई-निवारण।

भाग बी): प्रत्यक्ष करों के अन्य अधिनियम (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम)[10 अंक]

- काला धन (अप्रकटित विदेशी आय एवं आस्तियाँ) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015।
- बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016।

*****

आयकर निरीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र II: लेखाशास्त्र एवं बही-खाता लेखन

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों के बिना)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(इस प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।)

यह प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें से 35% भारिता व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को दी जाएगी, जिनमें सही उत्तर दे पाने के लिए विश्लेषणात्मक तर्क एवं संगणनात्मक समझ की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

1. मूल बातें:लेखांकन की परिभाषा एवं कार्य।
2. लेखांकन सिद्धान्त: संकल्पनाएँ एवं प्रथाएँ, नकद एवं वाणिज्यिक प्रणालियाँ।
3. द्विप्रविष्टि प्रणाली की मूल बातें – सामान्य सिद्धान्त।
4. लेखांकन चक्र अथवा प्रक्रिया – जर्नलीकरण एवं खाताबहीकरण। सहायक बहियों में लेन-देन का अभिलेखन – खाता बही में लेखन।
5. बैंक संव्यवहारों, बिल संव्यवहारों का लेखांकन, बैंक समाधान विवरणियाँ तैयार करना ।
6. पूँजीगत एवं राजस्व व्यय, प्राप्तियाँ एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा।
7. तलपट तैयार करना, तलपट द्वारा प्रकट त्रुटियाँ एवं तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली त्रुटियाँ – त्रुटियों का सुधार।
8. अंतिम लेखा अर्थात् विनिर्माण, व्यापार तथा लाभ-हानि लेखा एवं तुलन-पत्र की तैयारी एवं विश्लेषण।
9. मूल्यह्रास के लेखा – सीधी रेखा पद्धति एवं अवलिखित मूल्य पद्धति।
10. भागीदारी लेखा, कंपनी लेखा, एवं सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) लेखा।
11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित लेखांकन मानकों की मूल बातें:

ए) एएस-1: लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण।

बी) एएस-2: माल सूची का मूल्यांकन।

सी) एएस-7: निर्माण संविदाओं हेतु लेखांकन।

डी) एएस-9: रेवन्यू रिकेगनिशन

ई) एएस-10: सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर।

एफ) एएस-22: आय पर करों का लेखांकन।

जी) एएस-29: प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ।

इस प्रश्न-पत्र में अभ्यर्थी के सामान्य वाणिज्यिक शब्दों के ज्ञान का भी परीक्षण किया जाएगा। प्रश्न-पत्र स्नातक स्तर का होगा।

*****

आयकर निरीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र III: सम्बद्ध विधियाँ एवं कार्यालय प्रक्रिया

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों सहित – मूल अधिनियम तथा एफआर,एसआर, जीएफआर नियम आदि)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 60% भारिता सम्बद्ध विधियों को तथा 40% भारिता कार्यालय प्रक्रिया को दी जाएगी)

भाग ए): सम्बद्ध विधियाँ [60 अंक]

1. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882:

ए) अध्याय-II (धारा 5 से 11, 44 से 53क)

बी) अध्याय-III

सी) अध्याय-IV (धारा 58, 59क, 69, 73, 100, 102, 103)

डी) अध्याय-V (धारा 105 से 108)

ई) अध्याय-VII

एफ)अध्याय-VIII (धारा 130)

2. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908: (धारा 16, 17, 18, 40 से 47 एवं 60)

3. कंपनी अधिनियम, 2013:

ए) अध्याय I – धारा 1 से 2

बी) अध्याय II – धारा 3 से 15

सी) अध्याय IV – धारा 43 से 48, 52, 53, 55, 60, 63 एवं 71

डी) अध्याय IX – धारा 128 से 138

ई) अध्याय XV – धारा 230 से 240

एफ) अध्याय XX – धारा 359 से 365

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

5. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

ए) आदेश V – समन जारी किया जाना एवं उसकी तामील

बी) आदेश XVI – साक्षियों को समन एवं उनकी उपस्थिति

सी) आदेश XXI के सहपठित धारा 60 से 63

डी) आदेश XIX – शपथपत्र

ई) आदेश XXVI – कमीशन – नियम 1 से 18

एफ) आदेश XLVII – पुनर्विलोकन

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (धारा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

7. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008

भाग बी): कार्यालय प्रक्रिया [40 अंक]

1. मूल नियम एवं अनुपूरक नियम
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021
6. वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 2024
7. सामान्य वित्तीय नियम, 2017
8. कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (खंड I, II एवं III)
9. पॉश (POSH) अधिनियम {कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013}
10. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016

11. जेम (GeM) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद एवं संविदा प्रबंधन का संचालन।

*****

आयकर निरीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र IV: आई टी एप्लिकेशन एवं संचालन

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों के बिना)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में नीचे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।)

प्रश्न, विभाग में आई टी एप्लिकेशन एवं संचालनों पर आधारित होंगे। इसमें विभाग के प्रमुख कार्य हेतु अभ्यर्थी की कार्यात्मक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

1. **आईटीबीए (ITBA)मॉड्यूल:**

ए) आईटीबीए पोर्टल का संक्षिप्त परिचय

बी) आईटीआर प्रोसेसिंग

सी) सुधार

डी) वसूली

ई) लेखा परीक्षा

एफ) फेसलेस अपील, अपील रजिस्टर एवं सीएसआर

जी) प्रभाव प्रदायी आदेश (ऑर्डर गिविंग इफैक्ट)

एच) शास्ति

आई) ई-निवारण

जे) पैन एवं टैन –अनिवासी भारतीय (एनआरआई)की प्रास्थिति देखना/ अद्यतन करना, किसी इवेंट को चिन्हित करना विलोपन/ई-डुप्लीकेशन/प्रत्यावर्तन प्रारंभ करना, स्थानांतरण/स्थानांतरण आदेश सृजित करना, बल्क स्थानांतरण प्रारम्भ करना

के) टीडीएस

एल) सामान्य कार्य

एम) सभी मॉड्यूलों की एमआईएस-रिपोर्ट सृजन

एन) ईमेल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)

2. **आईटीबीए में निर्धारण मॉड्यूल (फेसलेस एवं गैर-फेसलेस):**

ए) निर्धारण का अवलोकन

बी) निर्धारण की विशेषताएँ एवं कार्य

सी) मामलों का चयन एवं नोटिस सृजन

डी) चयनित मामलों का रद्दीकरण

ई) हस्तलिखित आदेश अपलोड करना

3. आईटीबीए में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस):

ए) आईटीबीए में एचआरएमएस की भूमिका

बी) उपयोगकर्ता भूमिकाएँ एवं अभिगम स्तर

सी) भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण

डी) अनुपालन एवं मानव संसाधन नियम

4. इनसाइट एप्लिकेशन मॉड्यूल:

ए) इनसाइट पोर्टल का परिचय

बी) इनसाइट एप्लिकेशन में डेटा प्रबंधन

सी) इनसाइट पोर्टल का प्रक्रिया प्रवाह

डी) ई-सत्यापन

ई) तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग

5. डिजिटल फोरेंसिक:

ए) सीबीडीटी डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स लैब्स (डायल्स) मानक

बी) डिजिटल फोरेंसिक प्रोटोकॉल

सी) सर्च के प्रारंभ में तथा सर्च के पश्चात् डिजिटल उपकरणों को संभालना

डी) डिस्क, मोबाइल, ईमेल एवं क्लाउड फोरेंसिक

ई) क्लोनिंग, निष्कर्षण, अनुक्रमण/क्लस्टरिंग, फॉर्म 65बी/भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के अधीन प्रमाण-पत्र, अभिरक्षा शृंखला, पंचनामा एवं मज़हरनामा ।

*****

आयकर निरीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र संख्या V: राजभाषा हिन्दी

(विषयनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों के बिना)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

भाग ए: हिन्दी से अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद [अंक: 20]

(हिन्दी से अंग्रेजी में संक्षिप्त एवं सरल अनुच्छेदों अथवा वाक्यों का अनुवाद)

भाग बी: अंग्रेजी से हिन्दी में संक्षिप्त अनुवाद [अंक: 20]

(अंग्रेजी से हिन्दी में संक्षिप्त एवं सरल अनुच्छेदों अथवा वाक्यों का अनुवाद)

भाग सी: सरल पठन-बोध [अंक: 20]

(संक्षिप्त सरकारी अनुच्छेद, कार्यालय आदेश, सूचना, पत्र एवं ज्ञापन पर आधारित बोध प्रश्न)

भाग डी: सामान्य सरकारी एवं विभागीय कार्य से संबंधित हिन्दी [अंक: 20]

(सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सरकारी शब्दावली पर सामान्य प्रश्न, हिन्दी शब्द का उपयुक्त अंग्रेजी अर्थ चुनना, अंग्रेजी शब्द का उपयुक्त हिन्दी पर्याय चुनना, तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में सरकारी एवं विभागीय वाक्यों के सही प्रयोग की पहचान करना)

भाग ई: संक्षिप्त सरकारी लेखन [अंक: 20]

(अभ्यर्थी की सरल हिन्दी में संक्षिप्त सरकारी प्रारूप लिखने की योग्यता का आकलन)

*****

संलग्नक-II

परिशिष्ट-II

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों द्वारा वचनबद्धता पत्र।)

मैं, ______________________, ______________________ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त एक अभ्यर्थी, ______________________ (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक सं ______________________________, परीक्षा केन्द्र ________________________ (केन्द्र का नाम), जिला ______________________, ______________________________ (राज्य का नाम) में बैठ रहा/रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता ______________________ है।

2. मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि ____________________________ (श्रुतलेखक का नाम) उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधोहस्ताक्षरी को श्रुतलेखन की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

3. मैं एतद्द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता ______________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित अनुसार नहीं है तथा मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद अथवा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री के अपने अधिकार एवं उससे संबंधित दावों को अपवर्तित कर दूँगा/दूँगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रति-हस्ताक्षर, यदि अभ्यर्थी अवयस्क हो)

स्थान:

दिनांक:

संलग्नक-III

परिशिष्ट-I

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों हेतु प्रमाण-पत्र।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/पुत्री श्री ...., निवासी .... (ग्राम/डा.घ./थाना/जिला/राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त व्यक्ति की संपरीक्षा की है, तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि उसकी उपर्युक्त स्थिति के कारण ऐसी सीमाएँ हैं जो उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं। परीक्षा लिखने हेतु उसे श्रुतलेखक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) जैसे सहायक एवं सहायता उपकरणों का उपयोग करता/करती है, जो श्रुतलेखक की सहायता से अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है/हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र केवल भर्ती एजेंसियो तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के प्रयोजन से जारी किया गया है तथा दिनांक ____________ तक वैध है। (यह अधिकतम छह माह की अवधि अथवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, उससे कम अवधि के लिए वैध होगा)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**
अस्थि रोग विशेषज्ञ / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	तंत्रिका रोग विशेषज्ञ (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए (यदि कोई हो)

(हस्ताक्षर एवं नाम)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .... अध्यक्ष

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

दिनांक: